।। नीलामी की सूचना ।।

जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में सायकल/स्कूटर स्टेण्ड एवं कार पार्किंग की व्यवस्था हेतु नीलामी द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 हेतु दिनांक 01.04.17 से 31.03.18 तक के लिए ठेका दिया जा रहा है। इस हेतु खुली नीलामी जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में नजारत अनुभाग शिवपुरी के प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में **दिनांक 10–अप्रेल–17 से** जिला नाजिर द्वारा संपादित की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति जो न्यायालय परिसर शिवपुरी में निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अंतर्गत वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक हों, वे निर्धारित दिनांकों को न्यायालय परिसर में नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

(A) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक मूल्यकर्ता नीलामी प्रारंभ होने के पूर्व जिला नाजिर के पास धरोहर की राशि रू. 5000/– जमा करानी होगी।

(B) बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि अंतिम बोली स्वीकार न होने की स्थिति में संबंधित जमाकर्ताओं को लौटा दी जावेगी। सफल बोलीकर्ता की धरोहर राशि सुरक्षा निधि के रूप में ठेके की पूरी अवधि तक जमा रखी जावेगी।

(C) बोलीकर्ता को बोली प्रारंभ होने के पूर्व अपने मामले में यह शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण शिवपुरी न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में लंबित नहीं है और उसे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।

(D) जिस बोलीकर्ता की अंतिम बोली स्वीकार की जावेगी उसे अंतिम बोली की राशि त्रैमासिक किश्त भी देयता के आधार पर शेष राशि जमा करानी होगी।

(E) सायकल स्टेण्ड का संचालन व रखरखाव उचित रूप से किया जावेगा एवं शिकायत नहीं पाई जावेगी तो जिला न्यायाधीश मान्नीय उच्च न्यायालय की अनुमति से द्वितीय वर्ष हेतु 10प्रतिशत राशि बढ़ाकर बोलीकर्ता को आगामी वर्ष के लिए पुनः संचालन हेतु दे सकेंगे।

(F) प्रथम किश्त अनुबंध निष्पादन के पूर्व अथवा बोली दिनांक के 15 दिवस में जो भी पहले हो नजारत अनुविभाग में जमा करवाना होगी और तत्पश्चात् द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रत्येक तीन माह के पश्चात् और अंग्रेजी माह की 15 तारीख के पूर्व नजारत अनुभाग शिवपुरी में जमा करानी होगी।

(G) सायकल स्टेण्ड के संचालनकर्ता सायकल/दो पहिया/चार पहिया वाहन, न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखे जाने हेतु जिम्मेदार रहेंगे।

लगा0......../ /2

(H) सायकल स्टेण्ड का शुल्क सायकल 2/–रूपये, स्कूटर/मोटरसायकल दो पहिया वाहन 5/– रूपये तथा चार पहिया वाहन 10/–रूपये प्रतिदिन की दर से वसूल किया जावेगा। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार का ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा और उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा अन्य विभागीय विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(I) न्यायालयीन कर्मचारीगण/अभिभाषकगण एवं उनके रजिस्टर्ड मुंशी/रजिस्टर्ड टायपिस्ट/रजिस्टर्ड स्टाम्प वेंडर जो मासिक पास की सुविधा चाहते हैं,तो उन्हें रियायती दर पर मासिक पास की सुविधा देनी होगी। जिसकी दर सायकल हेतु रू. 30/–दो पहिया वाहन के रू0 100/–एवं चार पहिया वाहन के 150/–रूपये मासिक रहेगी तथा समय–समय पर जिला जज महोदय द्वारा दर निर्धारित की जावेगी।

(J) न्यायालय परिसर में शासकीय वाहन एवं न्यायाधीशगण के वाहन निःशुल्क रखे जावेंगे।

(K) जिस बोलीकर्ता की अंतिम बोली स्वीकार की जावेगी उन्हें निर्धारित शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र संपादित करना होगा।

(L) ठेकेदार वर्ष के बीच में ठेका छोड़कर चला जाता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी और ठेके की सम्पूर्ण राशि में से शेष रहीं किश्तों की राशि उसे एक मुश्त जमा कराना होगी। राशि जमा न कराए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य विभागीय व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

वास्ते.जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी,म.प्र.।